

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी - मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या- 33/24 प्राणपत्र

1- श्री सुरेशचन्द्र शर्मा श्री लक्ष्मीलाल शर्मा के निवासी बागोर तहसील माण्डल - प्रार्थी

बनाम

1- श्री गोविन्द शर्मा श्री बागोर कंजर निवासी - लक्ष्मीलाल शर्मा की लगेनी बागोर तहसील माण्डल (कैफ) (सुदक्षित प्राणपत्र) शर्मा - विपक्षीयगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू. रा. अधि. 1956

दिनांक :- 09.04.24

:: आदेश ::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बागोर पटवार हल्का बागोर I तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न० 7602/359 कुल किता 01 रकबा 0.5059 हैक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयगण के मध्य आराजी मृतदायिवा के सीता चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्ना होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06.03.24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगद्दी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बागोर पटवार हल्का बागोर I तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न० 7602/359 कुल किता 01 रकबा 0.5059 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक बागोर को 500/- रुपये /- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मोके व कब्जे की यस्थास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगद्दी नही की जावें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
माण्डल

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
माण्डल